

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बलदेवसिंह हाडा

संख्या 204/14

तारीख रजू— 05/06/2015

पुत्र श्री मन्ना जाति गुर्जर निवासी ग्राम टोरडा तहत तहसील चौथ का बरवाडा।

----- अपीलार्थी

बनाम

पुत्र जन्सी 2— बट्टी पुत्र देवकरण 3— गोकुल पुत्र देवकरण 4— मोहनलाल पुत्र देवकरण
जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम टोरडा तहत तहसील चौथ का बरवाडा
भू-प्रबन्धक अधिकारी, सवाईमाधोपुर मुख्यालय टोंक।
जाकर जरिये तहसीलदार, चौथ का बरवाडा।

----- रेस्पोजेण्टस

निर्णय

दिनांक—05/06/2015

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत
भू-प्रबन्धक अधिकारी सवाईमाधोपुर मुख्यावास टोंक के स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 2775
दिनांक 22/11/1993 वाके ग्राम भगवतगढ के विरुद्ध प्रस्तुत की है जिसमें अपीलार्थी ने
नामान्तरकरण को निरस्त कर अपने पिता का नाम व ग्राम के नाम को शुद्ध कर पुनः नये
नामान्तरकरण खोलने की प्रार्थना की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गई
अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय से मूल नामान्तरकरण तलब किया गया।
संख्या 1 लगायत 4 की ओर से श्री रामलखन माहुर उपस्थित आये व रेस्पोजेण्टस संख्या 5 व 6 की
राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। प्रकरण निस्तारण हेतु राजस्व लोक अदालत में रखा
उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि
भू-प्रबन्धक अधिकारी ने अपीलाधीन नामान्तरकरण खोलते वक्त अपीलार्थी के पिता का नाम
गलत दर्ज कर दिया गया है। अतः नामान्तरकरण निरस्त कर अपीलार्थी के पिता
सूरज्या गुर्जर के स्थान पर सही नाम रामकरण पुत्र मन्ना गुर्जर व ग्राम का
नाम टोरडा के स्थान पर सही नाम ग्राम टोरडा अंकित कर नये सिरे से नामान्तरकरण तस्दीक
आदेश फरमावें।

अपील रेस्पोजेण्टस संख्या 1 लगायत 4 ने बहस में अपीलार्थी के पिता का नाम व ग्राम
नाम को सही करने पर कोई आपत्ति नहीं की।

अपीलार्थी व रेस्पोजेण्टस संख्या 1 लगायत 4 को भी सुना व उन्होने इस आशय का राजीनामा
दिया कि हम पक्षकारान के मध्यलोक अदालत की भावना से आपस में राजीनामा हो गया है
अपीलार्थी के पिता का नाम व ग्राम का नाम सही करने में हमको कोई आपत्ति नहीं है।
अपीलार्थी की पहचान श्री श्यामसुन्दर गुप्ता एडवोकेट ने व रेस्पोजेण्टस संख्या 1 लगायत 4 की पहचान
श्री रामलखन माहुर एडवोकेट ने की। राजीनामा वाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया।

अपील उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने व पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत
आधार पर राजस्व लोक अदालत की भावना से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि
भू-प्रबन्धक अधिकारी सवाईमाधोपुर मुख्यालय टोंक द्वारा दिनांक 22/11/1993 को तस्दीक

(Handwritten signature)

30/4/05
4th R
dentib
Sly
प्रमाण

राजस्व
ग. 15.1
श्री बलदेवसिंह हाडा
जिला कलेक्टर
सवाईमाधोपुर


204/14


6/2/14

अपीलार्थी के पिता का नाम सूरज्या के स्थान पर मन्ना व अपीलार्थी के ग्राम का स्थान पर टोरडा किया जाना उचित है जिसमें रेस्पोंड संख्या 1 लगायत 4 को अस्वीकार नहीं है की सहमति राजीनामे में दर्शायी है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी, अपीलार्थी के पिता का नाम मन्ना व ग्राम का नाम त्रिलोकपुरा के स्थान पर टोरडा किये जाने की सीमा अस्वीकार किया जाकर अपीलार्थी नामान्तरकरण निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार चौथ का अंतर्गत इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पुनः अपीलार्थी के पिता का नाम व ग्राम का नाम सही अंकित करते हुए नये सिरे से नियमानुसार नामान्तरकरण तस्दीक करने की कोशिश करें।

निर्णय आज दिनांक 05/06/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया


(कुंजबिहारी शर्मा)
सदस्य


(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर